प्रारूप 26 का शपथपत्र

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN

रु.10

भारत INDIA 5Rs पाँच रुपये NOTARIAL

भारत INDIA 5Rs पाँच रुपये NOTARIAL

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 045455

NOTARY
C.S. Kanyal
Khatima-U.S. Nagar
Uttrakhand-India
Regd. No.
32 (03) 2006
GOVT. OF UTTRAKHAND INDIA

Executed Identified By Me

2

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

70 विधान सभा खटीमा ....निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.......उत्तराखण्ड विधान सभा.........(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

मैं.......विनोद चन्द.......पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~ श्री बीरबल चन्द.......आयु 30 वर्ष ...जो...........का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/~~करती~~ हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/~~करती~~ हूँ :–

1. मै ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/~~की~~ अभियुक्त ~~नहीं~~ हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया ~~गया~~ है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/~~की~~ अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/~~करेगी~~):

(I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं 3128 A/06

(II) पुलिस थाना (थाने) खटीमा ....जिला (जिले) उधम सिंह नगर राज्य उत्तराखण्ड

(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है 147, 323, 504, 506, IPC व 3(10) ST/SC Act

(IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की कई अति- जिला एवं सत्र न्यायालय उ० सिं० नगर

(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे 21-8-2009

(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/~~हैं~~ जी नहीं

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ~~ठहराया गया है~~/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट ~~किया गया है~~/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

(I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.......शून्य

(II) न्यायालय,जिसने दंडित किया है.......शून्य

(III) पुलिस थाना (थाने).......शून्य.......जिला (जिले).......शून्य.......राज्य.......शून्य

(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.......शून्य

(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे.......शून्य

(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.......शून्य

स्थानः–

तारीखः–

V.D. अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

NOTARY C.S. Kanyal Khatima U.S. Nagar Uttarakhand India Regd. No. 32 ... GOVT. OF UTTARAKHAND

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/~~करती~~ हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।...........खटीमा.......स्थान पर आज तारीख 10-01-2012 ....को सत्यापित किया।

V.D. अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

* प्ररूप के उन भागों को, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए ।

Sri ... Vinod Chand S/o Birbal Chand